फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स. न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

09-07-2013

आवेदक **मो0 मुस्तकिम,** पिता–स्व0 मो0 हमजा, सा0–पत्थर की मस्जिद, पो0–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–583/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–05.07.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–09.07.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि को सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–09.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके पास पूर्व से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–01/1986, (थाना–सुलतानगंज) प्राप्त है। उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एक एन0पी0बोर रायफल को साथ रखने में कठिनाई होती है तथा अति आवश्यक कार्य हेतु बिहार के अन्यत्र जिलों में भी जाना पड़ता है। उनके द्वारा अपनी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को किसी वैध आग्नेयास्त्र दुकान में बिक्री करने एवं उनके द्वारा आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त आवेदक के अनुरोध पर पूर्व में निर्गत एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–01/1986 को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) में निहित प्रावधान अन्तर्गत रद्द करते हुए उक्त शस्त्र को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा–5 के आलोक में किसी वैध आग्नेयास्त्र दुकान में बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मो0 मुस्तकिम

पिता–स्व0 मो0 हमजा, सा0–पत्थर की मस्जिद, पो0–महेन्द्रु, थाना–सुलतानगंज, जिला पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

मो0 मुस्तकिम को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रा पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्रा कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।